न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 105 / 2020

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 22 / 10 / 2020

निर्णय दिनांक : 03/02/2021

1. रूपनारायण पुत्र स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया, गुढाबेरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. बाबुलाल पुत्र स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया, गुढाबेरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

—— वादीगण

बनाम

1. बरजी पत्नि स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया, गुढाबेरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. गिता पुत्री स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा पत्नि रामेश्वरलाल निवासी पटेल नगर हिरापुरा जयपुर राजस्थान।
3. सोहनी देवी पुत्री स्वर्गीय केंसरलाल उर्फ केसरा पत्नि बोदुराम कुमावत ग्राम बेगस जयपुर राजस्थान।
4. दुर्गा देवी पुत्री स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा पत्नि हनुमान जाति कुमावत निवासी काजीपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।
5. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुरा राजस्थान।

——प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थिति – **श्री त्रिलोक सिंह चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री रामरतन मीणा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 03/02/2021

–: निर्णय :–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 66 के आराजी खसरा संख्या 912, खसरा नम्बर 913, 914, कुल किता 3 कुल रकबा 1.9800 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 349 के आराजी खसरा संख्या 1736, 1737, 1737/2178, 1738, 1739/2170, 1740, 1741, 1742/2171, 2496/1742, 2497/1742 कुल किता 11 कुल रकबा 6.7600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 70 के आराजी खसरा संख्या 402, 402/1006, 403, 410 लगायत 414, 416, 420, 420/999, 421 लगायत 426, 911, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 928, 929 ,931 लगायत 935 938, 939, 940, 943, 944, 945 कुल किता 38 कुल रकबा 10.7900 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 67 के आराजी खसरा संख्या 923, 927 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 68 के आराजी खसरा संख्या 915, 916, 917, 919 कुल किता 4 कुल रकबा 1.4800 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 69 के आराजी के आराजी खसरा नम्बर 930 कुल रकबा 1 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है। हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के पिता स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा का खाता संख्या 66 मे हिस्सा 1/12, खाता संख्या 349 मे 1/57, खाता संख्या 70 में हिस्सा 1/12 खाता संख्या 67 में 1/12 में हिस्सा खाता संख्या 68 में हिस्सा 1/12 एवं खाता संख्या 69 में हिस्सा 1/12 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा उक्त राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्तमान में वादीगण बराबर–बराबर एवं वादीगण से पुर्व वादीगण के स्वर्गीय पिता केसरालाल के जीवनकाल में वादीगण के पिता स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। एवं वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण बराबर बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा लगान सरकारी जमा करातें आ रहे है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। तथा वादीगण सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होने से अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात वर्तमान मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति स्वर्गीय केसरलाल उर्फ केसरा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति का स्वर्गवास दिनांक 29/08/2014 को हो चुका है। तथा वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात सम्पुर्ण कियाकम दाह संस्कार, पगडी रस्म, आदि

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

वादीगण ने ही सम्पन्न किया था। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण के पिता की स्वर्गवास के पश्चात अपनी सहमति से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण के हक में पंचो के बीच वादीगण के हक में बराबर बराबर हकत्याक कर दिया था। जिसपर वादीगण तब से लेकर आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात में स्वर्गीय केसरलाल के हिस्से पर बराबर बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा वादीगण उक्त प्रकरण मं दर्ज आराजीयात की बराबर बराबर घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषैधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात वर्तमान मे वादीगण के पिता स्वर्गीय केसरलाल के नाम से चली आ रही है। तथा वादीगण के पिता केसरलाल का स्वर्गवास दिनांक 29/08/2014 को हो चुका था। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण के हक में बराबर बराबर हकत्याग उक्त प्रकरण में दर्ज आराजीयात में से अपने हिस्से को वादीगण को बराबर बराबर संभला दिया था। तथा वादीगण हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात को तब से लेकर आज तक वादीगण के पिता स्वर्गीय केसरलाल के तरके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार बराबर बराबर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा वादीगण इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति केसरलाल के स्वर्गवास के पश्चात केसरलाल के पुत्र वादीगण ने ही अपने पिता का क्रियाक्रम सम्पूर्ण रीति रिवाज रस्म अदा की थी। तथा वादीगण ने ही अपनी बहिनों प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के शादी विवाह के पश्चात मायरा, भात रस्में अदा कर काफी रूपया पैसा खर्च किया था। तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा सुरश्रा वादीगण ही करते चले आ रहे हैं। जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 4 ने वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात मोखिक हकत्याग कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने अपने हिस्से को वादीगण के हक में अपना सम्पूर्ण हिस्सा हकत्याग कर दिया था तथा वादीगण के अपना सम्पूर्ण हिस्सा बराबर नाम लगाने का आश्वासन दिया था। तथा वादीगण के हक में अपना हिस्सा हकत्याग कर दिया था। तब से लेकर आजतक वादीगण उक्त हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के पिता स्वर्गीय केसरलाल के हिस्से में से वादीगण बराबर बराबर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजीयात की घोषणा करवाने के अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात का विरासत का

सहायक कलक्टर (फा...)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

नामान्तकरण वादीगण के हक में नही खोले जाने पर वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को हकत्याग कर वादीगण के हक में नाम लगाने हेतु निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण को आश्वासन देते रहे एवं दिनांक 11/10/2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से वादीगण के हक में हकत्याग करने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने दुबारा वादीगण के हक में हकत्याग करने से एवं तहसील मौजमाबाद में जाने से साफ मना कर दिया जिस कारण वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद का पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि हस्तगत प्रकरण के पैरा संख्या 1 में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के स्वर्गीय पिता केसरलाल उर्फ केसरा की आराजीयात में वादीगण को बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं पालनार्थ तहसीलदार महोदय मौजमाबाद को लिखा जावे। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषैधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को कब्जे से बेदखल नही करे रहन बेय मुन्तकिल नही करे मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार महोदय मौजमाबाद को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनाक 21/12/2020 को प्रतिवाद संख्या 1 ल. 4 की ओर से श्री रामरतन मीणा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया, जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस में सुनी गयी।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात असल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 66, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 349, 70, 67, 68, 61 दिनांक 15/10/2020, शपथ–पत्र फोटो प्रति सिजरा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजी वर्तमान में स्व0 केसरलाल उर्फ केसरा पुत्र भूरा के नाम से मुताबिक जमाबन्दी में अंकित हिस्सा के अनुसार दर्ज हैं। केसरलाल उर्फ केसरा जा कि पक्षकारान के पिता/पति हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र से केसरलाल उर्फ केसरा की मृत्यु दिनांक 29/08/2014 को होना पायी जाती हैं एवं प्रस्तुत शपथ–पत्र से केसरलाल उर्फ केसरा के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 विधिक वारिशान होना पाये जाते है, चूंकि वादीगण ने विधिक वारिशान के नाम खातेदारी घोषणा चाही है, कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजीयात में वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा बनता हैं तथा इसी हिस्से को प्राप्त करने हेतु वादीगण ने उक्त वाद–पत्र पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 जो कि केसरलाल उर्फ केसरा की पत्नी व पुत्रीयां है, जिन्होनें इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर अपना हिस्सा वादीगण के हक में छोडना अंकित करते हये वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर पूर्ण सहमति दी हैं, इस प्रकार इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादीगण अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद न्यायहित में बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 66 के आराजी खसरा संख्या 912, खसरा नम्बर 913, 914, कुल किता 3 कुल रकबा 1.9800 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 349 के आराजी खसरा संख्या 1736, 1737, 1737/2178, 1738, 1739, 1739/2170, 1740, 1741, 1742/2171, 2496/1742, 2497/1742 कुल किता 11 कुल रकबा 6.7600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 70 के आराजी खसरा संख्या 402, 402/1006, 403, 410 लगायत 414, 416, 420, 420/999, 421 लगायत 426, 911, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 928, 929, 931 लगायत 935, 938, 939, 940, 943, 944, 945 कुल किता 38 कुल रकबा 10.7900 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 67 के आराजी खसरा संख्या 923, 927 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 68 के आराजी खसरा संख्या 915, 916, 917, 919 कुल किता 4 कुल रकबा 1.4800 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 69 के आराजी के आराजी खसरा नम्बर 930 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मूंदू

वाके ग्राम रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर वाके ग्राम रामपुरा उर्फ बाडिया, तहसील मौजमाबाद में स्व0 केसरलाल उर्फ केसरा के नाम दर्ज भूमि का वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुद्रा

सहायक कलक्टर
दूदू जिला जयपुर (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

① रूपनारायण पुत्र स्व. श्री केसरलाल उर्फ केसरा, ② बाबूलाल पुत्र स्व. श्री केसरलाल उर्फ केसरा जाति यादव कुमावत नि. रामपुरा उर्फ बाडिया तह. मौजमाबाद बनाम ① भूरजी देवी पत्नि स्व. केसरलाल ② गीता पुत्री स्व. केसरलाल व अन्य

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा न. 105 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधि. श्री त्रिलोक सिंह चौधरी

व हाजिरी .... भिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि. श्री रामरतन मीणा

.... भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र बराये राजीनामा डिक्री किया जाकर वाद-ग्रस्त आराजी खाता सं. 66 के आराजी खसरा सं. 912, ख.न. 913, 914 कुल किता 03 कुल रकबा 1.9800 हैक्टेयर एवं खातासं. 349 के आराजी खसरा न. 1736, 1737, 1737/2178, 1738, 1739, 1739/2170, 1740, 1741 → P.T.O.

.... निज .... मुबलिग ....

.... बाबत .... खर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद बशरह ....

.... फीसदी .... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3 माह 2 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू)

दस्तखत (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत्			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान्		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् ईजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

अन्तिम डिक्री

ACM-दूदू रूपनारायण वगै. बनाम बरजी देवी वगै.

105/2020 दावा दि. 03/02/2021

1742/2171, 2496/1742, 2497/1742 कुल किता 11 कुल रकबा 6.7600 हैक्टेयर एवं खाता सं. 70 के आराजी खसरा सं. 402, 402/1006, 403, 410 लगा. 414, 416, 420, 420/999, 421 लगा. 426, 911, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 928, 929 931 लगा. 935, 938, 939, 940, 943, 944, 945 कुल किता 38 कुल रकबा 10.7900 हैक्टेयर एवं खाता सं. 67 के आराजी खसरा सं. 923, 927 कुल किता 02 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर एवं खाता सं. 68 के आराजी खसरा सं. 915 916 917 919 कुल किता 4 कुल रकबा 1.4800 हैक्टेयर एवं खाता सं. 69 के आराजी खसरा नं. 930 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम-रामपुरा उर्फ बाडिया तह. मौजमाबाद जिला-जयपुर में स्व. केसरलाल उर्फ केसरा के नाम दर्ज भूमि का वादीगण को बराबर-बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू